84

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विविध - 9231 - I/16

प्र0 क0 विविध —एक/16

दिनांक 2-11-16 को श्री प्रदीप शर्मा अभि. द्वारा प्रस्तुत
Padeep Sharma 2-11-16
प्रदीप शर्मा 2/11/2016
418

जसुवा तनय गनुवा अहिरवार
निवासी ग्राम सिलावर तहसील
राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0
———आवेदक

विरूद्ध
मध्यप्रदेश शासन
———अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश में संशोधन करने के संबंध में।

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :—

1— यह कि, आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक निगरानी 2776—तीन/13 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2013 द्वारा आवेदक ने द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 22/अ—21/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2013 के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें आवेदक द्वारा आराजी ग्राम सिलावट तहसील राजनगर स्थित भूमि खसरा कमांक 106/3 एवं 569/4, रकवा कमशः 1.963 एवं 0.037 हैक्टेयर कुल रकवा 2.000 का पट्टा प्रदाय किया गया था जिसको विकय किये जाने की अनुमति माननीय न्यायालय द्वारा प्रदाय की गई थी।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9231–एक / 16 जिला –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2. 11.16	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश में संशोधन करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। 2–यह विविध प्रकरण कमांक 9231–एक / 16 पक्षकार जसुआ तनय गनुवा अहिरवार निवासी ग्राम सिलावर तहसील राजनगर जिला छतरपुर विरूद्व मध्यप्रदेश शासन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2776–तीन / 13 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2013 में संशोधन किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। 3– आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 2777–तीन / 13 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2013 में विकय की अनुमति प्रदाय की है, लेकिन आदेश में कुछ ऐसी शर्ते लागू कर दी हैं जिसके कारण आवेदक उनको पूर्ण करने में असमर्थ है, जिसके कारण वह अपनी भूमि विकय नहीं कर पा रहा है तथा उसका प्रतिफल न मिलने के कारण बहुत परेशानी का समना करना पड़ रहा है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि आदेश में शर्त कमांक–2 एवं 3 विलोपित करने की कृपा की जावे। 4–आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया, एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता के से सहमत होते हुये। आवेदक के अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा	

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक निगरानी 2776—तीन / 13 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2013 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुये आदेश के अंतिम पैरा में शर्त कमांक 2 एवं 3 विलोपित करने के आदेश दिये जाते हैं एवं इस आदेश के 4 माह की समयावधि (बढ़ाई जाती है) में निष्पादन कराना अनिवार्य होगा। पूर्व आदेश यथावत रहेगा।

सदस्य